श्रमायुक्त–सह–समझौता पदाधिकारी, बिहार श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की अध्यक्षता में बिहार राज्य चीनी निगम के इकाई सकरी एवं लोहट चीनी मिल के कर्मचारी के बकाए वेतन, पेंशन, भविष्य निधि भुगतान के संबंध में दिनांक–09.10.2026 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार

1. श्री वेदव्रत कुमार – संयुक्त ईखायुक्त, R.No.-207, विकास भवन, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, Mob-9471007242, Email-vedawrata@gmail.com
2. श्री पुष्कर राज – Cane Officer, Darbhanga, Mob-8271091664, Email-caneofficerdarbhanga@gmail.com
3. श्री सौरभ सिन्हा – Cane Officer, Muzaffarpur, Mob-8709093958, Email-saurabher4@gmailcom

कामगार पक्ष

1. श्री अघनु यादव – सर्वोदय किसान मजदूर सभा, बिहार, कैम्प+कार्यालय–कनकपुर, पो०–नरपतिनगर, जिला–मधुबनी, बिहार, Email-hmsbihar11@rediffmail.com

सरकार पक्ष

1. श्री राजेश भारती – श्रमायुक्त, बिहार
2. श्री राजेश कुमार – संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार
3. श्री गणेश कुमार झा – उप श्रमायुक्त–सह–उप निबंधक, श्रमिक संघ, बिहार

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का श्रमायुक्त द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात् चीनी निगम के इकाई सकरी एवं लोहट चीनी मिल के कर्मचारियों के बकाए वेतन, पेंशन तथा भविष्य निधि भुगतान के संबंध में अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई।

कामगार पक्ष से उपस्थित श्री अघनु यादव द्वारा मुख्यतः सकरी एवं लोहट चीनी मिल के कामगारों के पेंशन, पी०एफ० की राशि तथा बकाया वेतन के अंतरण संबंधी मामला उठाया गया।

उक्त के संबंध में गन्ना उद्योग विभाग के उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि बकाया राशि का भुगतान Exit Settlement के तहत किये गये कामगारों के Audit के आलोक में किया जा रहा है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जिन कामगारों का भुगतान नहीं हुआ है, उनके द्वारा Claim करने पर एक सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। उनके द्वारा बताया गया कि सकरी चीनी मिल के कुल 1214 कामगारों में 689 कामगारों का भुगतान हो गया है तथा 525 कामगारों का भुगतान बकाया है।

इस संबंध में गन्ना उद्योग विभाग के उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा Regional PF Commissioner-II/OIC, Regional Office, Muzaffarpur के पत्रांक–BR/RO/MUZ/ENF/Sugar Ind./Misc/2026/693, दिनांक–06.08.2026 की प्रति उपलब्ध करायी गई, जो बंद चीनी मिलों के कामगारों के पी०एफ० तथा अन्य बकाया राशि के अंतरण के संबंध में दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर के गन्ना पदाधिकारी तथा लोहट, सकरी एवं मोतीपुर के

Scanned with OKEN Scanner

जेनरल मैनेजर के साथ चर्चा किये गये बिन्दुओं से संबंधित है तथा जिसके माध्यम से उक्त सभी भुगतान त्वरित कार्रवाई करते हुए समयबद्ध तरीके से करने हेतु गन्ना उद्योग विभाग को निदेशित किया गया है।

गन्ना उद्योग विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि भुगतान संबंधी सारी व्यवस्थाएं ऑनलाईन हो गयी हैं एवं सभी कामगारों का UAN जेनरेट कराते हुए महीने की अंतिम तिथि UCR के माध्यम से भुगतान करना होता है।

i) श्रमायुक्त द्वारा कामगारों के बकाया राशि के संबंध में निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर जिन कामगारों का भुगतान लंबित है, उनकी सूची तैयार करते हुए समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी ट्रेड यूनियन एवं श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार को भी उपलब्ध करायी जाय तथा दीपावली के पहले तक कैम्प लगाकर तथा समाचार पत्रों में कैम्प तिथि इत्यादि संबंधी वृहद् प्रचार–प्रसार करते हुए सभी कामगारों का भुगतान किया जाय।

(अनुपालन–गन्ना उद्योग विभाग, बिहार)

ii) ई०पी०एफ० तथा पेंशन के भुगतान के संबंध में श्रमायुक्त द्वारा गन्ना उद्योग विभाग एवं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ एक बैठक बुलाये जाने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन–वरीय प्रभारी, प्रशाखा–03)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

14/10/26
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3/डी–11/2021 श्र०सं०– 6289 पटना, दिनांक– 14/10/26

प्रतिलिपि– कामगार पक्ष के प्रतिनिधि श्री अघनू यादव, सर्वोदय किसान मजदूर सभा, बिहार, कैम्प+कार्यालय–कनकपुर, पो०–नरपतिनगर, जिला–मधुबनी, बिहार, Email-hmsbihar11@rediffmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/10/26
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3/डी–11/2021 श्र०सं०– 6289 पटना, दिनांक– 14/10/26

प्रतिलिपि– ईखायुक्त, बिहार के उपस्थित प्रतिनिधियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/10/26
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3/डी–11/2021 श्र०सं०– 6289 पटना, दिनांक– 14/10/26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/10/26
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3/डी–11/2021 श्र०सं०– 6289 पटना, दिनांक– 14/10/26

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

14/10/26
श्रमायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner